राजस्व अपील संख्या 416 / 2022

अनवान

कोजाराम बनाम राज्य जरिये तहसीलदार

दिनांक 05–8–2022

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूणी के द्वारा पारित आदेश क्रमांक 2021 / PKGS / 2212 दिनांक 05.12.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ होने से अपीलांट अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.12.2021 का अवलोकन किया एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात एवं सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग इत्यादि का भी अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया। जिसके आधार पर अपीलांट की उक्त अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूणी के द्वारा पारित आदेश क्रमांक 2021 / PKGS / 2212 दिनांक 05.12.2021 के क्रम मे प्रकरण में तहसीलदार लूणी को यह निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि की संबंधित पक्षकारो / हितबद्ध लोगो की उपस्थिति मे मौका जॉच कर प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें। कदीमी रास्ते को बन्द नहीं किया जावें। उक्त निर्देशो के साथ हस्तगत अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति0 संभागीय आयुक्त,
जोधपुर